

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 193/2023

उनवान

केशर खां पिता हगामदार खां कायमखानी निवासी शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

- 1- इकबाल खां पिता मुमताज खां कायमखानी निवासी वार्ड नं. 01 अहमद नगर शाहपुरा
- 2- मोहम्मद युफूस पुत्र मोहम्मद अली कायमखानी निवासी नृसिंहद्वारा के पास, शाहपुरा
- 3- नूरमोहम्मद पुत्र कंवरअली खां निवासी कायमखानी मोहल्ला शाहपुरा
- 4- अजीज खां पुत्र मोती खां कायमखानी निवासी चारणों की गली शाहपुरा
- 5- शौकत खां पुत्र पुत्र मोती खां कायमखानी निवासी चारणों की गली शाहपुरा
- 6- सरदार खां पिता अलादीन खां कायमखानी निवासी अहमद नगर शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री सोहेल खां कायमखानी
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–


दिनांक– 18/09/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2667 रकबा 0.82 है0 कुल किता 1 रकबा 0.82 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।


प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 11.09.2023 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने हुए दिनांक 18.09.2023 को उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.82 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/09/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।




(पुनीत/कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।


उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा